न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2020-00077Ju2020-039 Ramdeo Vs Sangram etc

रामदेव पुत्र दयालराम जाति जाट,
निवासी गजसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ,
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

संग्राम राम पुत्र चैनाराम के कायममुकामान -

1. परमुडी पत्नी संग्राम राम जाति जाट
2. सुभाष पुत्र संग्राम राम जाति जाट
3. नेमाराम पुत्र संग्राम राम जाति जाट
4. सुनिल पुत्र संग्राम राम जाति जाट
5. रामनिवास पुत्र संग्राम राम जाति जाट
6. दिनेश पुत्र संग्राम राम जाति जाट
7. गौतम पुत्र संग्राम राम जाति जाट
8. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, भोपालगढ,
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व वाद संख्या 16/2017 दयालराम बनाम संग्रामराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री चेतनराम जाखड, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री जस्साराम चवेल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 7
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 27 जुलाई, 2021

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2017 दयालराम बनाम संग्रामराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 19 अगस्त 2019 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 03 मार्च 2020 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के पिता दयालराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के खिलाफ पेश कर जाहिर किया कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम गजसिंहपुरा के खसरा संख्या 135/3 मिन रकबा 5 बिस्वा गैरमुमकिन बाडा एवं खसरा संख्या 135/4 मिन रकबा 5 बिस्वा गैरमुमकिन बाडा वादी की खातेदारी में दर्ज है और कदीम से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर विधिवत उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त आराजी के वादी के पक्ष में कमशः सनद संख्या 1979 दिनांक 03 नवम्बर 1972 तथा सनद संख्या 80/2247 दिनांक 2 नवम्बर 1979 के जरिये नियमन की जाकर म्युटेशन संख्या 558 एवं 698 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रविष्टिया की गयी, किन्तु राजस्व नक्शें में इस बाबत तरमीम नहीं हुई। राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने का अनुचित लाभ उठा कर प्रतिवादीगण-रेस्पो. उसे उक्त आराजियात से जबरन बेदखल करने पर आमदा है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण-रेस्पो. को तलब किया गया। प्रतिवादी-रेस्पो. संग्रामराम के कायममुकामान की ओर से उक्त वाद का जबाब मय काउण्टर क्लेम पेश कर विरोध किया गया। वादी-अपीलाण्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाबुल-जबाब पेश कर उक्त काउण्टर क्लेम खारिज किये जाने एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 अगस्त 2019 वादी का उक्त वाद एवं प्रतिवादी-पक्ष का काउण्टर क्लेम, दोनों ही खारिज कर वादी को तरमीम हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 अगस्त 2019 के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी की उक्त आराजियात खसरा संख्या 135/3 एवं 135/4 के पडौस में खसरा संख्या 135/1 रकबा 5 बिस्वा कानाराम, खसरा संख्या 135/2 रकबा 5 बिस्वा गोपालराम तथा खसरा संख्या 135 रकबा 03 बिस्वा ग्राम पंचायत के खातेदारी की स्थित है। वादी-अपीलाण्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात कमशः सनद संख्या 1979 दिनांक 03 नवम्बर 1972 तथा सनद संख्या 80/2247 दिनांक 2 नवम्बर 1979 के जरिये नियमन की जाकर म्युटेशन संख्या 558 एवं 698 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रविष्टिया की गयी, किन्तु राजस्व नक्शें में इस बाबत तरमीम नहीं हुई। जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण-रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे की भूमि में अनावश्यक जबरन दखलदांजी की जाती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया गया, जो जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाबदावे एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर मामले में तनकियात भी कायम की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गयी, किन्तु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी और न ही वादी-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत गवाहान से जिरह की गयी। ऐसी स्थिति में वादी-अपीलाण्ट का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत का विवेचन कर तनकीवार निष्कर्ष पारित किये बिना ही मनमाने तरीके से वादी का दावा खारिज कर दिया गया, जो सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के अनुरूप, विधिसम्मतः, न्यायोचित एवं निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है और न ही न्यायिक निर्णय की श्रेणी में आते है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय वादी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, दिनांक 9 अगस्त 2019 एवं 19 अगस्त 2019 को वादी-अपीलाण्ट एवं उसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के उपरान्त भी प्रकरण में उनकी उपस्थिति दर्ज कर दी गयी। वादी-अपीलाण्ट एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत दिनांक 28 जनवरी 2020 से पूर्व कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 28 जनवरी 2020 को गांव में वादी का दावा खारिज हो जाने की अफवाह सुनी तो 29 जनवरी 2020 को अपीलाण्ट द्वारा भोपालगढ जाकर प्रमाणित प्रतिलिपियों हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, जो दिनांक 30 जनवरी 2020 को प्राप्त होने पर अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत समुचित जानकारी हुई और तदनुसार जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादशुमार करते हुए गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने जाहिर किया कि आराजी खसरा संख्या 135 रकबा 15 बिस्वा पर प्रारम्भ से ही प्रतिवादी-रेस्पो. का कब्जा चला आ रहा है और उक्त भूमि का उपयोग उनके द्वारा पशुओं का चारा एवं ईंधन सामग्री रखने के लिए करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से साक्ष्य में जिन गवाहान को पेश किया गया, उनके द्वारा प्रतिवादी-पक्ष के अभिवचनों के अनुरूप ही बयान दिये है और वादग्रस्त आराजी पर वादी-अपीलाण्ट का कब्जा होने से इंकार किया है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 के जरिये प्रतिवादी-रेस्पो. का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। वादी-अपीलाण्ट का वाद साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय वादी-अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है, सरसरी तौर पर प्रकरण का सिंहावलोकन करने पर गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारवान पायी जाती हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम एवं उसके संलग्न प्रस्तुत शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्तागण-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए अपील-अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे, जबाब एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर मामले में तनकियात कायम की गयी, वादी-पक्ष की साक्ष्य पूर्ण होने के बाद प्रतिवादी-पक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी-पक्ष की ओर से कुछ गवाहान की साक्ष्य पेश की गयी और काफी समय तक अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-रेस्पो. की साक्ष्य बंद कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में तनकियात कायम किये जाने के उपरान्त भी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का कोई विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया और न ही तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19 अगस्त 2019 पारित नहीं किया है। अपितु अपीलाधीन निर्णय में प्रकरण के तथ्यो का सारांश लिखते हुए अत्याधिक संक्षिप्त आदेश निम्नानुसार पारित किया है -

" हमले पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजस्व रेकर्ड एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम तथा काउण्टर क्लेम के जबाब का भी अवलोकन किया तथा साक्ष्य शपथपत्र तथा वादी की लिखित बहस पर मनन किया जिसके अनुसार प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है एवं वादी को वादपत्र में वर्णित विवादग्रस्त भूमि की तरमीम हेतु तहसीलदार भोपालगढ को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।"

जाहिर है कि उक्त पारित निर्णय किसी भी स्थिति में एक न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मामले का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण किया गया। वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 135/3 रकबा 0.0405 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 135/4 रकबा 0.405 हैक्टेयर अपीलांट रामदेव पुत्र दयालराम के नाम खातेदारी में दर्ज होकर पृथक-पृथक तरमीमशुदा है, जिसकी पुष्टि अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड से होती है। अपीलांट का दावा राजस्व रिकॉर्ड से पूर्णरूपेण साबित है जो अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

इन सभी परिस्थितियों में उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 16/2017 दयालराम बनाम संग्रामराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 19 अगस्त 2019 खारिज किया जाकर रेस्पोडेंट्स को शाश्वत निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट की उक्त खातेदारी के दोनो तरमीमयुक्त खसरों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 27/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर